

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6-1-2017-3-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2017

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:-प्रारम्भिक जांच में त्वरित कार्यवाही कर विभागीय जांच प्रकरण का समयावधि में निराकरण।

- संदर्भ:- (1) क सी-6-6-1997-3-1, दि 04.06.1997
(2) क सी-6-3-2009-3-1, दि 22.10.2009
(3) क सी-6-1-2015-3-1, दि 21.01.2015
(4) क सी-6-3-2015-3-1, दि 01.08.2015

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें, जिनके माध्यम से समय-समय पर विभागीय जांच के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अधीन मुख्य शास्ति अधिरोपित की जाने वाली प्रक्रिया एक वर्ष की समयावधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2- उपरोक्त प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर लगने वाले अधिकतम संभावित समय को वर्गीकृत करते हुए एक समय-सारणी उक्त निर्देशों के साथ संलग्न की गयी है। इसके अतिरिक्त परिपत्र दि 01.08.2015 द्वारा लघुशास्ति के मामले अधिकतम 150 दिवस अर्थात् 5 माह में आवश्यक रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। तथापि कार्यवाही में विलम्ब या लापरवाही हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये हैं।

3- सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दि 08.02.1991 तथा 21.01.2015 द्वारा निर्देशित किया गया कि जांच प्रकरण में त्वरित कार्यवाही न होने से शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त होने पर उसे स्वत्वों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है, न्यायालय प्रकरण बनते हैं और शासन को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतएव सेवानिवृत्त होने के पूर्व ही प्रचलित कार्यवाही का निराकरण कर लिया जाय।

-2-

4- इसके बावजूद शासन के ध्यान में आया है कि उपरोक्त निर्देशानुसार निर्धारित समय-सीमा में अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरणों का निराकरण नहीं हो रहा है। विधिवत् जांच संस्थित किये जाने के पूर्व प्रारंभिक जांच में ही अत्यधिक समय व्यतीत हो जाता है, यहां तक कि सम्बन्धित शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो जाता है और कभी-कभी तो मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 9 में उल्लिखित 4 वर्ष की समय-सीमा का उल्लंघन होने से जांच संस्थित जांच ही संस्थित नहीं हो पाती। यह स्थिति किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है।

5- अतएव पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन प्रकरणों में प्रारंभिक जांच की जाती है, उसका निराकरण अधिकतम 3 माह की समयावधि में किया जाना कृपया आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें। तदुपरांत मुख्य शास्ति हेतु नियम 14 के अंतर्गत संलग्न सारणी के अनुसार एक वर्ष की समयावधि में तथा लघुशास्ति हेतु नियम 18 के अंतर्गत 5 माह में प्रकरणों का निराकृत किया जाना सुनिश्चित करें। समय सारिणी पुनः संलग्न की जा रही है।

(सीमा शर्मा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 16 मार्च, 2017

पृ. क्रमांक सी 6-1-2017-3-एक

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सा. प्र. वि. अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

(सी.बी. पडवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

**विभागीय जांच की विभिन्न प्रावस्थायें एवं उनके लिए निर्धारित
समय-सारणी**

विभागीय जांच संस्थित किये जाने के पूर्व जहां प्रारम्भिक जांच आवश्यक है, वहां अधिकतम 3 माह की समय-सीमा में प्रारम्भिक जांच पूर्ण की जाना अत्यावश्यक है।

1	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती में विभागीय जांच का निर्णय लिया जाना.	अधिकतम 1 सप्ताह
2	आरोप पत्रादि जारी किया जाना.	अधिकतम 1 माह
3	अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त किया जाना. (आरोप पत्र प्राप्त होने की तिथि से कम से कम 7 दिन पश्चात् से यह अवधि गण्य होगी)	7 दिन से 1 माह
4	प्राप्त उत्तर का परीक्षण कर जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति.	7 दिन से 1 माह
5	जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना :- (क) मुख्य शास्ति की प्रक्रिया हेतु (ख) लघु शास्ति की प्रक्रिया हेतु	अधिकतम 6 माह अधिकतम 3 माह
6	जांच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं शास्ति पारित करने का निर्णय लिया जाना :- (क) मुख्य शास्ति की प्रक्रिया हेतु (ख) लघु शास्ति की प्रक्रिया हेतु	अधिकतम 3 सप्ताह अधिकतम 2 सप्ताह
7	आयोग की मंत्रणा जहां आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद अंतिम आदेश पारित करना.	अधिकतम 2 सप्ताह

[Handwritten Signature]